

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No. 440/Camp-NBC/2026

Dated – 28-06-2026

It is certified that the existing building THE LEELA INTERNATIONAL SCHOOL, CHAUBEYPUR KHURD, NIYAR ROAD, VARANASI (U.P.) is having block(s)/Floor(s) as per details below:

Detail of Block(s) in school	Block (1)	Block (2)	Block (3)	Block (4)	Block (5)	Block (6)
No. of Floor(s) in the Block	G+3				-	-

The building is owned/ occupied by THE LEELA INTERNATIONAL SCHOOL, CHAUBEYPUR KHURD, NIYAR ROAD, VARANASI (U.P.) have complied with the Building safety requirements in accordance with National Building code Rules, and verified by the officers concerned of **PUBLIC WORK DEPARTMENT** on 28-06-2026 in the presence of MANAGER, THE LEELA INTERNATIONAL SCHOOL, CHAUBEYPUR KHURD, NIYAR ROAD, VARANASI (U.P.) and that the building/premises is fit for occupancy for running school with effect from 28-06-2026 for a period of Three years in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended.

1. The building will be repaired every year by the School manager.

Issued on 28-06-2026 at VARANASI by

Signature with Seal : 

Name : सहायक अभियन्ता

Designation : प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०

To,

MANAGER,
THE LEELA INTERNATIONAL SCHOOL,
CHAUBEYPUR KHURD, NIYAR ROAD,
VARANASI (U.P.)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
वाराणसी

पत्रांक
सेवा में,

123 / कैम्प-सन०बी०सी०/२०२२

दिनांक-24/03/2022

मुख्य विकास अधिकारी,
वाराणसी।

विषय :- नेशनल बिल्डिंग कोड(N.B.C) प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- आपका पत्र दिनांक 23.03.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि "दी लीला इण्टरनेशनल स्कूल चौबेपुर खुर्द, वि०ख०-चोलापुर, वाराणसी" भवन से संबंधित उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर स्कूल भवन का स्थलीय निरीक्षण/जॉच अवर अभियंता द्वारा किया गया। उक्त स्कूल भवन "नेशनल बिल्डिंग कोड-2005" के सुरक्षा मानकों के अनुरूप निर्मित प्रतीत होता है (चेक लिस्ट संलग्न)।

संलग्नक:- चेकलिस्ट मूल में।

पत्रांक

/

प्रतिलिपि डॉ० हरिहर चौबे प्रबन्धक- दी लीला इण्टरनेशनल स्कूल चौबेपुर
खुर्द, वि०ख०-चोलापुर, वाराणसी को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
वाराणसी
दिनांक 24/03/2022

B.S.A

26/3/2022

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
वाराणसी

॥ दी लीला इन्टरनेशनल स्कूल, चौबेपुर खुर्द, पिंखं-चौलापुर-वाराणसी
विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट

(ख) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 6 से 8.) हेतु चेकलिस्ट:-

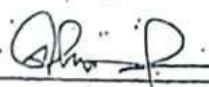
क्र.सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1.	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2.	क्या भवन मानचित्र स्थानीय विभाग/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	लागू नहीं
3.	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	नहीं
4.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमी०) है?	~~3699.24~~ 3699.24 वर्ग मी
5.	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है?	हाँ
6.	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैक में पार्किंग तो नहीं है?	हाँ/नहीं
7.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
8.	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है?	नहीं
9.	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ
10.	क्या भवन की दीवारें ईंट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी हैं?	हाँ
11.	क्या भवन की दीवारों/छतों में कैंक है?	नहीं
12.	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	हाँ
13.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है?	हाँ
14.	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ
15.	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
16.	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है?	हाँ
17.	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	स्कूल मंजिला दो स्टेयर केस के साथ
18.	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जाने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी०, ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 180 मिमी० है?	नहीं (स्कूल मंजिला)

Calder
 Attached PWD

अवर प्राचार्य
 राष्ट्रीय अध्यापक, लोअर सेकेंडरी
 वाराणसी

19.	क्या भवन के कक्षों से जाने की अधिकतम दूरी 22.50 मी० है?	नहीं
20.	क्या भवन में रसोई घर मुख्य भवन में स्थित है?	हाँ
21.	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा जहरीला रसायन रखा जाता है?	नहीं
22.	क्या भवन की आंतरिक फिनिश में शीघ्र ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग तो नहीं किया गया? छत में ज्वलनशील फाल्स सीलिंग तथा दीवारों पर बुडेन पैन्टिंग तो नहीं है?	नहीं
23.	क्या भवन की छत पर पानी की टंकी है?	हाँ
24.	क्या भवन में मुख्य द्वार के आतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है?	हाँ
25.	क्या सक्षम अधिकारी से भवन का Structural Stability प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है या नहीं?	
<u>विद्युत व्यवस्था चेक लिस्ट</u>		
26.	क्या भवन से विद्युत की लो-वोल्टेज लाइन की न्यूनतम वर्टीकल ऊँचाई 2.5 मी० एवं होरीजेंटल दूरी 1.2 मीटर है?	
27.	क्या भवन से विद्युत की हाई वोल्टेज लाइन (11000 वोल्ट या अधिक) की न्यूनतम वर्टीकल ऊँचाई 3.70 मी० है एवं होरीजेंटल दूरी 2.0 मीटर है?	
28.	क्या पुरानी विद्युत वायरिंग, स्विच एवं अन्य इक्विपमेन्ट ISI मार्क सामग्री द्वारा बदले गये हैं?	
<u>अग्नि सुरक्षा संबंधी चेक लिस्ट</u>		
29.	क्या विद्यालय में भवन, छात्रों तथा अध्यापकों का आग एवं दैवीय आपदाओं से सामूहिक बीमा कराया गया है?	
30.	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	
31.	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First Aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	
32.	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	

अवर अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
वाराणसी


Architect PWD